

## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला  
झुंझुनू (राज.)

मिसल नम्बर :- 82/2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

अनुराधा देवी पुत्री बनवारी जाति ब्राहमण निवारी श्रीसरदारपुरा तहसील खेतड़ी व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम की<br>इस हुक्म की<br>तारीख में<br>जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 21.03.22       | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीयागण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीयागण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1895 दिनांक 14.03.2022 के आधार पर प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम श्रीसरदारपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्बन्ध 2075-2078 हाल खाता संख्या 70 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि अन्नू पुत्री बनवारी के स्थान पर अनुराधा देवी पुत्री बनवारी, अनिता पुत्री बनवारी के स्थान पर अनिता शर्मा पुत्री बनवारी व शान्ति पुत्री बनवारी के स्थान पर मिनाक्षी देवी पुत्री बनवारी तथा खाता संख्या 109 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि अन्नू पुत्री बनवारी के स्थान पर अनुराधा देवी पुत्री बनवारी, शान्ति पुत्री बनवारी के स्थान पर मिनाक्षी देवी पुत्री बनवारी व सुष्मिता पुत्री बनवारी के स्थान पर अनिता शर्मा पुत्री बनवारी दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21-03-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |



(जय सिंह)  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज०)

